

18.12.24

पञ्जावली पेशा डुरी  
पीतरीन जति  
अतः हुकम  
जवनमा 3/1/25 को पेशा डुरी

03.01.25

पञ्जावली पेशा डुरी/ प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित/ विप्राधी  
लक्ष्मी उर्फ वकील उपस्थित/ पञ्जावली में विप्राधी 3  
के वकील ने बिना जवाब प्रस्तुत किये T.I पर  
सीधे बहस का निवेदन किया जिसे स्वीकार किया  
जाकर विद्वान उममपक्ष कारान को बहस सुनी। डौराने  
बहस उममपक्ष ने विवादित झरानों पर ताफैसला  
T.I कन्फर्म का निवेदन किया। मैंने विद्वान  
वकील उममपक्ष को बहस पर मनन किया।  
पञ्जावली में खैलान दस्तावेजों का अध्ययन, अवलोकन  
किया। वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त झरानों में  
संयुक्त खाते दार हैं व कारबिन-काइत हैं। उकरण  
में प्राथमिक डिक्ली आज जारी है चुकी हैं लिहाजा  
वाद अंतिम डिक्ली होना तम है। अतः प्रथम हुकमा  
मामला सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के बिना  
प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने से मूलवाद  
के निस्तारण तक न्यायालय हाजिा द्वारा जारी किये  
अंतर्गत खैलान कोइर ताफैसला कन्फर्म किया  
जाता है कि विप्राधीगण उक्त झरानों के राजस्व  
रिकॉर्ड एवं मॉके में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।  
पञ्जावली फंसल शुमार होकर बाखिल बफ्तार है।  
दर्ज नष्वा से काम है।

(राजनिवादन)  
द्वारा  
दिया

सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमना

